मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-2

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 1 नवम्बर, 2006 (कार्तिक 10, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. बधाई

मध्यप्रदेश की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर सदन द्वारा बधाई

मध्यप्रदेश की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर वाणिज्यिक कर मंत्री श्री बाबूलाल गौर, अध्यक्ष महोदय श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य श्री रामलखन शर्मा, उपाध्यक्ष महोदय श्री हजारीलाल रघुवंशी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तथा श्री हमीद काजी ने प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं एवं बधाई दी।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 27 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 50 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे

3. पृच्छा

श्री दिग्विजय सिंह, सदस्य ने शून्यकाल के दौरान भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती के साथ छतरपुर जिले के भगवा थाने अंतर्गत ग्राम सरोरा में घटित घटना पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर सदन में चर्चा कराने की मांग की।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर अपनी व्यवस्था दी गई कि "मुझे विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव मिला और नैसर्गिग न्याय की अपेक्षा है कि मैं विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर सरकार का जबाब मंगाऊ। मैंने सरकार का जबाब मांगा है और जैसे ही मुझको सरकार का जबाब प्राप्त हो जाएगा, मैं इसकी ग्राह्यता पर चर्चा या उसको ग्राह्य करने पर निर्णय दूंगा।

(सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्य उनके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर शासन द्वारा चर्चा न कराने के विरोध में गर्भगृह में आ गये)

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा के उप संभाग मऊगंज अंतर्गत नैयानाला पांती-मिश्रान मार्ग का निर्माण कार्य पूरा न कराये जाने,

(2) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की मुरैना जिले के जौरा में दूषित पेयजल से उत्पन्न स्थिति होने,

(3) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के जौरा तहसील के ग्राम अलापुर में गंदे पानी का निकास नहीं होने से संक्रमण बीमारी फैलने,

(4) श्री दरबू सिंह उईके, सदस्य की मंडला जिले के नैनपुर विकास खण्ड अंतर्गत चिरइडोंगरी से बारिया मार्ग की जर्जर हालत होने,

(5) श्री लाखन सिंह बघेल, सदस्य की करैरा नगर के बीचों-बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री का भण्डारण किये जाने,

(6) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी में स्वाध्यायी परीक्षा के छात्र-छात्राओं के फार्म जमा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति,

(7) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य की भोपाल जिले के ग्राम दिल्लौद स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर जले होने,

(8) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सहायक प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति आदेश नहीं निकाले जाने,

(9) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य की राजगढ़ जिले के नेशनल हाइवे 12 पर ब्यावरा बायपास ब्यावरा से कुरावर पीलूखेड़ी सड़क निर्माण एवं डामरीकरण के कार्य में अनियमितता होने,

(10) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले के विजयपुर तहसील के कई गांव के विद्युत तार टूटे होने एवं ट्रांसफार्मर जले होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

(व्यवधान होने के कारण विधान सभा की कार्यवाही 11.45 बजे आधा घंटे के लिए स्थगित होकर 12.18 बजे पुनः प्रारम्भ हुई)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

5. पृच्छा

श्री दिग्विजय सिंह, सदस्य ने भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती के साथ छतरपुर जिले के भगवा थाने अंतर्गत ग्राम सरोरा में घटित घटना पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की।

इस पर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सदन में स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा कराने का आश्वासन दिये जाने पर माननीय अध्यक्ष द्वारा कल सदन में ग्राह्यता पर चर्चा कराने की घोषणा की गई।

6. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है -

क्र.	शासकीय विधेयक/अन्य कार्य	आवंटित समय
1.	महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2006	2 घण्टे
2.	न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश) संशोधन विधेयक, 2006	1 घण्टा
3.	वर्ष 2006-2007 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान, तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण.	2 घण्टे
4.	प्रदेश में अतिवृष्टि एवं अल्पवर्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अश्विन जोशी, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री आरिफ अकील, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण की नियम 139 के अधीन सूचना पर चर्चा.	1 घण्टा 30 मिनट
5.	प्रदेश में चिकनगुनिया, मलेरिया, पीलिया, डेंगू बुखार आदि संक्रामक बीमरियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री मनमोहन शाह बट्टी, अरिफ अकील सुखदेव पांसे, रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण की नियम 139 के अधीन सूचना पर चर्चा।	1 घण्टा 30 मिनट
6.	मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-04 पर चर्चा.	2 घण्टे
7.	मध्यप्रदेश लोक आयुक्त और उप लोकायुक्त का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-05 लोकायुक्त संगठन का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-05 व्याख्यात्मक ज्ञापन पर चर्चा.	2 घण्टे
8.	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2001-02,2002-03 एवं 2003-04 पर चर्चा.	2 घण्टे

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयक एवं वित्तीय कार्य पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्यमंत्रणा समिति की जे सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. जुलाई, 2006 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय ने जुलाई, 2006 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

(सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्यगण उनके द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग को लेकर पुनः गर्भगृह में आ गये)

व्यवधान होने के कारण 12.23 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 2 नवम्बर, 2006 (कार्तिक 11, 1928) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.